राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 61/2023

अप्रार्थीगण

1. श्री पूर्णदान पुत्र देवीदान
2. श्री ओमप्रकाश पुत्र देवीदान जातियान चारण,निवासियान सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सिणधरी, पंचायत समिति सिणधरी, जिला बालोतरा
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिणधरी।
3. भगवानाराम पुत्र चेतनराम
4. जालाराम पुत्र चेतनराम
5. ठाकराराम पुत्र चेतनराम
6. चौखाराम पुत्र चेतराम
7. दुर्गाराम पुत्र ठाकराराम जातियान जाट, निवासियान सिणधरी हाल निवासी मोतीसरा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पचायताराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 227 दिनांक 26.01.1975 जो अप्रार्थी सं. 3, 4, 5, 6 के पिता के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री देवीसिंह महेचा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3,4,5,6 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 05.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र कार्यालय जिलाधीश, बाड़मेर के पत्रांक 74/11712 दिनांक 11.12.1974 निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सिणधरी व विकास अधिकारी, सिणधरी द्वारा ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 227 दिनांक 26.01.1975 के विरूद्ध दिनांक 27.09.2022 न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि कार्यालय जिलाधीश, बाड़मेर के पत्रांक 74/11712 दिनांक 11.12.1974 निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सिणधरी व विकास अधिकारी, सिणधरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3,4,5,6 के पिता चेतन के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1956 की धारा 91 के तहत ग्राम सिणधरी में ग्राम पंचायत की आवादी भूमि का पट्टा दिनांक 26.01.1975 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1350 वर्गफीट दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस वदिशा उतर में करनीदान व 45 फीट, दक्षिण में मैन रोड़ व 45 फीट, पूर्व में अस्तपताल की भूमि व 30 फीट, पश्चिम में मुला पुत्र दला का प्लॉट व 30 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सिणधरी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी मौजा सिणधरी का मूल व स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का पट्टा सुदा व कब्जासुदा भूखण्ड मौका सिणधरी की आबादी भूमि खसरा नंबर 57 गैर मुमकिन आबादी में बाड़मेर–बालोतरा मुख्य सड़क पर आया हुआ है, जिनका नाम व पड़ौस उत्तर व दक्षिण में 90 फीट एवं पूर्व व पश्चिम में 22 फीट है व पूर्व में राजकीय अस्पताल, पश्चिम में हरीदान पुत्र देवीदान, उतर में हरीदान पुत्र देवीदान, दक्षिण में मैन रोड़ आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का लगातार पैतृक व पुश्तैनी से कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। जिस भूखण्ड पर पहले प्रार्थी के पिता का तथा प्रार्थी के पिता के फौत होने पर प्रार्थी का कब्ज़ा चला आ रहा है। जिसे पुराने स्वामित्व के आधार पर ग्राम पंचायत ने प्रार्थी का पुराना कब्जा प्रमाणित मानते हुए पट्टा संख्या 56 दिनांक 28.02.2014 को जारी किया गया। प्रार्थी संख्या 3 ता 6 के पिता चेतन पुत्र दला के नाम से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिली भगत कर फर्जी पट्टा संख्या 227 दिनांक 26.01.1975 को जारी करवाया गया। जिसमें पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई तथा न ही कार्यालय जिलाधीश बाड़मेर के आदेश

जिला कलक्टर
बालोतरा

क्रमांक/पंचायत/74/11712 दिनांक 11.12.1974 के आदेश की पालना नहीं की गई। उक्त आदेश के अनुसार पटटे उन ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसुचित जाति/जन जाति के सदस्यों एवं जिनके पास कोई भूमि नहीं है, उन्हें आबादी भूमि में से 150 वर्गगज का एक भूखण्ड निःशुल्क आवंटन करने का आदेश है तथा आदेश के निर्देश संख्या 5 के अनुसार भुखण्डों की पत्थरों से डिमार्केशन करावे व निर्देश संख्या 6 आवंटी को मौके पर आवंटित भूखण्ड का कब्जा सौंपने की कार्यवाही करावे के आदेश जारी किये गये थे। जिसकी आड़ में पट्टा संख्या 227 दिनांक 26.01.1975 को चेतन के पक्ष में जारी करना बताया गया है तथा पट्टा में पटट्राधारक को आवंटी संबोधित किया गया है तथा आवंटन की शर्ते है। आवंटित भूमि हस्तान्तरण नहीं होगी, बल्कि स्वयं के स्वामित्व में रहेगी तथा आवासीय उपयोग में ली जायेगी तथा दो वर्ष के अंदर मकान/झोंपा बनाना अनिवार्य है एवं झूठा विवरण देकर आवंटन करवाने पर रद्ध किया जायेगा। आलोच्य पट्टा में उक्त शर्तो की किसी भी प्रकार से पालना नहीं की गई, जिसे आलोच्य पट्टा स्वतः ही शुन्य है। आलोच्य पट्टा जारी करने में पंचायती राज नियमों की भारी अनदेखी की गई है। उक्त भूखण्ड पर पट्टा धारक का कब्जा नहीं रहा, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाया गया एवं न ही ग्राम पंचायत नियमानुसार सर्वेक्षण किया गया। साथ ही उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 226 दिनांक 26.01.1975 से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत सिणधरी के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। मौका निरीक्षण, आपति आमंत्रण की नियमों की भी पालना नहीं की गई है। मौके पर आवंटन अधिकारी के निर्देशानुसार भुखण्ड का न तो डिमार्केशन किया गया है, न ही आलोच्य पट्टे का एवं प्रार्थी के पैतृक भूखण्ड का नाप व मौका पड़ौस किसी प्रकार से मेल नहीं खा रहा है। साथ ही आलोच्य पट्टा पर खसरा नंबर अंकित नहीं है। आलोच्य पट्टा संख्या 227 के धारक चेतन द्वारा प्रार्थी के पैतृक भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं कब्जा का असफल प्रयास दिनांक 19.01.1990 को प्रार्थी के पिता की जमीन के अंदर अप्रार्थीगण के पिता के द्वारा किया गया। जिसमें मुलजिमान के खिलाफ धारा 144, 447/149 के तहत चालान पेश किया गया। जिसका फौजदारी मुकदमा संख्या 134/1990 में साक्ष्य के अभाव में मुलजिमान का कब्जा नहीं होने से व कब्जा नहीं मानते हुए संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया व उसी वक्त प्रार्थी ओम प्रकाश व प्रार्थी के भाई हरीदान के खिलाफ उसी रोज दिनांक 17.01.1990 को आलोच्य पट्टाधारक चेतन द्वारा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके मुकदमा संख्या 135/1990, जिसमें प्रार्थी की पैतृक भूमि मानते हुए दोषमुक्त किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आलोच्य आवंटी मुलाराम द्वारा 1990 तक आवंटित आलोच्य पटट्रा का कही भी कब्जा नहीं रहा। जिससे आलोच्य पट्टा काबिल निरस्त योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन कियां कि आलोच्य पट्टा संख्या 227 का कुटरचित पुनः पुराने गृह का विनियमीकरण का पट्टा अप्रार्थी चौखाराम पुत्र चेतनराम द्वारा पट्टा संख्या 251 दिनांक 15.04.2004 का फर्जी तरीके से बनाया गया। तत्कालिन सरपंच ढेलीदेवी के हस्ताक्षर ढेलोदेवी फर्जी किये गये तथा फर्जी सील ग्राम पंचायती की लगाई गई तथा तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदैन सचिव ग्राम पंचायत सिणधरी के हस्तारक्षर फर्जी किये गये एवं कार्यालय ग्राम पंचायत सिणधरी की फर्जी सील बना कर लगाई गई है। फर्जी हस्तारक्षर करने पर तत्कालिन सरपंच ढेलीदेवी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया कि उक्त आलोच्य पट्टे पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है और मेरे द्वारा नहीं किये गये है। अप्रार्थी चौखारा व खरीददार तथा अन्य के खिलाफ सी आर नंबर 147 दिनांक 10.09.2021 को धारा आई पी सी के तहत पुलिस थाना सिणधरी में दर्ज करवाई। उक्त धारा में अप्रार्थी व अन्य को दोषी मानते हुए फर्जी पट्टा बनाने एवं बैचाननामा दिनांक 27.04.2018 को अप्रार्थी दुर्गाराम के पक्ष में करने आरोप मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट सिणधरी में चालान पेश किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 ने मिल कर फर्जी, कुटरचित मूल्यवान प्रतिभूति तैयार कर उसका उपयोग में लिया गया। आलोच्य पट्टा संख्या 251 जो एकमात्र चौखाराम के पक्ष में फर्जी तैयार कर अप्रार्थी दुर्गाराम चौधरी को बैचान किया गया जिससे स्पष्ट है कि आलोच्य पट्टा संख्या 227 व उसकी आड में प्राप्त किया गया फर्जी पट्टा संख्या 251 काबिल निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 द्वारा व उनके 100–200 सहयोगीयों से मिल दिनांक 22.01.2021 को प्रार्थी के भूखण्ड मय निर्मित दूकानों पर तोड़ फोड़ की गई। जिसका मूकदमा सी आर नंबर 19 दिनांक 23.01.2021 को पुलिस थाना सिणधरी में दर्ज कर अनुसंधान कर प्रार्थीगण व उनके सहयोगियों के खिलाफ अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा में चालान पेश किया गया, जो श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट सिणधरी में विचाराधीन है। अप्रार्थी द्वारा मुकदमा प्रार्थी के खिलाफ किया गया, जिसके सी आर नंबर 20 दिनांक 23.01.2021 में अप्रार्थी का वादग्रस्त भूखण्ड में किसी भी रूप में कब्जा नहीं माना गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी का आलोच्य भूखण्ड पर कब्जा नहीं रहा तथा जबरन अत्यधिक संख्याबल के आधार पर प्रार्थी के भूखण्ड मय दूकानों पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने का असफल प्रयास किये गयें साथ ही आलोच्य पट्टा में एवं प्रार्थी के पट्टे में अंकित नाप व पड़ौस में अंतर होने एवं अप्रार्थी का आलोच्य पट्टा कुटरचित होने से, हस्तगत प्रकरण में आलोच्य पट्टा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की घोर अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जिसे भी आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी निगरानी में यह कथन किया है कि पट्टा जारी करने से पूर्व कब्जा होना या सनिर्माण होना आवश्यक है, जबकि जिस आदेश से अप्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी को आवंटन किया गया है, उसमें वर्णित शर्तो 2(ऊ) अनुसार आवंटन के 2 वर्ष के अंदर मकान निर्माण या झूपा निर्माण का उल्लेख किया गया है, जिसे स्पष्ट है कि वक्त आवंटन निर्माण होना आवश्यक नहीं था। आलोच्य पट्टा सन 1975 में जारी किया, जिसे 47 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उस वक्त किसने नक्शा बनाया उसकी कोई जानकारी हम अप्रार्थीगण को नहीं है, क्योंकि आवंटन धारक व तत्समय में आवंटन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले लगभग सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के हम में दिनांक 26.01.1975 को पट्टा जारी हुआ, तत्समय में उक्त पट्टा भूखण्ड के संबंध में सन 1985 व 1990 को विवाद हुआ। प्रश्नगत पट्टे की जानकारी प्रार्थीगण एवं उनके हकपूर्वाधिकारी को सन 1985 में ही थी, फिर भी उक्त पट्टा अवैध, गलत एवं विधिविरूद्ध हो के संबंध में कोई कार्यवाही किसी अपील या निगरानी न्यायालय के समक्ष चुनौती देकर प्रश्नगत नहीं किया गया। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत किये गये भूखण्ड के पट्टे के रहते उसी भूखण्ड का पट्टा वर्तमान प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से पट्टा संख्या 56 दिनांक 28.02.2014 को प्राप्त कर लिया और उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के कब्जे, उपयोग, उपभोग में अनुचित रूप से दखल, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ऐसे तथ्यों की जानकारी अप्रार्थी को हुई तब अप्रार्थी ने जिला कलक्टर बाड़मेर के समक्ष निगरानी संख्या 12/2021 पेश की, जो निगरानी दोनो पक्षकारान को सुनकर दिनांक 18.04.2022 को अप्रार्थीगण की ओर से पेश की गई निगरानी को स्वीकार कर वर्तमान प्रकरण के प्रार्थी के हक में जारी पट्टे को निरस्त कर दिया। तदोपरांत प्रार्थी ने श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायाय के समक्ष रिट याचिका 7055/2022 दायर की जो रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 18.01.2023 को खारिज कर जिला कलक्टर बाड़मेर के द्वारा पारित आदेश पुष्टि की। वर्तमान निगरानी मात्र अप्रार्थीगण को खर्चे से जैर बार करने एवं तंग परेशान करने की बदनियती पूर्वक पेश की है, क्योंकि पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा अवैध व गलत तरीके से प्राप्त पट्टे को निगरानी में निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण ने अलग अलग न्यायालयों में कई प्रकरण दर्ज करवाये, जिनमें कोई सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तब वर्तमान निगरानी प्रकरण विधिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए पेश की गई है, जो व्यय सहित खारिज होने योग्य है। भौतिक रूप से मौके पर प्रश्नगत पट्टे से संबंधित सम्पति पर बतौर मालिक मौके पर कब्जा अप्रार्थीगण व उनके हकपूर्वाधिकारियों का निरंतर सतत् रूप से

जिला कलक्टर
बालोतरा

कायम रहा है। इस प्रार्थीगण की निगरानी आधारहीन तथ्यों की होने से खारीज योग्य है।

7. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि कार्यालय जिलाधीश, बाड़मेर के पत्रांक 74/11712 दिनांक 11.12.1974 निर्देशानुसार आलोच्य पट्टा दिनांक 26.01.1975 विकास अधिकारी, सिणधरी व सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा पट्टाधारक चेतन पुत्र दला के नाम जारी पट्टा जारी दिनांक 26.01.1975 को जारी किया गया। जबकि ग्राम पंचायत सिणधरी से उक्त आलोच्य पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के पत्रांक 2023/699 दिनांक 27.03.2024 के पत्र में अवगत करवाया गया हैं कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित पट्टा बुक व बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं अन्य रेकर्ड आग से जल कर नष्ट हो जाने के कारण ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में संलग्न आलोच्य पट्टा जारी दिनांक 26.01.1975 का अवलोकन करने पर पाया कि आलोच्य पट्टा पर पट्टा संख्या अंकित नहीं की गई है और न ही खसरा नंबर अंकित किया गया है। जिससे पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर एवं प्रार्थी के अधिवक्ता के कथनानुसार उक्त आलोच्य पट्टा दिनांक 26.01.1975 के आड़ में ग्राम पंचायत की फर्जी सील, तत्कालिन सरपंच एवं ग्राम सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करके पट्टा संख्या 249 दिनांक 15.04.2004 पुराने गृह को विनियमितीकरण के तहत अप्रार्थी संख्या 6 के नाम जारी करके दिनांक 27.04.2018 को आगे अप्रार्थी संख्या 07 दुर्गाराम को बेचान किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आलोच्य पट्टा जारी दिनांक 26.01.1975 में राजस्थान पंचायती राज नियम 1956 धारा 91 के तहत आवंटन की शर्त (अ) *"आवासीय आवंटित भूमि को हस्तान्तरण का कोई अधिकार आवन्टी को नही होगा एवं यह उसके स्वयं के स्वामित्व में ही रहेगी",* की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार आलोच्य पट्टा दिनांक 26.01.1975 अपास्त योग्य है। साथ ही आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी चेतन पुत्र दला के पक्ष में कार्यालय जिलाधीश, बाड़मेर के पत्रांक 74/11712 दिनांक 11.12.1974 निर्देशानुसार आलौच्य पट्टा दिनांक 26.01.1975 जारी किया

जिला कलक्टर
बालोतरा

गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की और से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर कार्यालय जिलाधीश, बाड़मेर के पत्रांक 74/11712 दिनांक 11.12.1974 निर्देशानुसार आलौच्य पट्टा दिनांक 26.01.1975 विकास अधिकारी, सिणधरी व सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा पट्टाधारक चेतन पुत्र दला के नाम जारी पट्टा जारी दिनांक 26.01.1975 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा